उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 50/2021–22

नागी टुडू.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सुनील टुडू.....उत्तरकारी।

आदेश

04.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–132/2004–05 में पारित आदेश दिनांक–14.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. मौजा बागलाजोड़ी नं0–37 सरदारी सर्कल कुमड़ाबाद, अंचल दुमका एक प्रधानी मौजा है। गेंजर सर्वे के "ए मिसील" के अनुसार उक्त मौजा का प्रधान जमाबंदी नं0–26 के रैयत मंगल हेम्ब्रम थे।

2. पूर्व प्रधान मंगल हेम्ब्रम की मृत्यु नावल्द हो चुकी है। वंशावली के अनुसार अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के बहन मैदी उर्फ बागरी हेम्ब्रम की पोता की पत्नी है। मैदी उर्फ बागरी हेम्ब्रम की शादी घर जमाई के रूप में हुई थी,

3. मयुराक्षी परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1955–56 में L.A Case No-84 द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि भी बागरी हेम्ब्रम के पुत्र अर्जुन मुर्मू द्वारा प्राप्त किया गया है।

4. वर्त्तमान सर्वे में भी उक्त जमाबंदी अपीलकर्त्ता के पति एवं अन्य हिस्सेदारों के नाम से दर्ज है।

5. पूर्व प्रधान के उत्तराधिकारी होने के नाते अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना

कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन पर जाँच किये बिना ही उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी, दुमका से पत्रांक–659/रा0 दिनांक–22.05.2013 पत्रांक– 552/रा0 दिनांक–30.05.2015 एवं पत्रांक–559/दिनांक–29.07.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने पारित आदेश में अंचल अधिकारी, दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उल्लेख किया गया है कि मौजा का अंतिम प्रधान मंगल हेम्ब्रम नावल्द थे। अंतिम प्रधान मंगल हेम्ब्रम का कोई वंशज नहीं है। आवेदकों का अंतिम प्रधान से कोई संबंध नहीं है, जिस कारण धारा–6 के आवेदन को खारीज करते हुए धारा 05 में कार्रवाई प्रारंभ की गई। जमाबंदी रैयतों के मतदान के आधार पर सुनील टुडू को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया।

<u>प्रावधान</u>

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature – Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

Thakur Hembrom Vrs State of Bihar, 1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB)].

It was held that authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान मंगल हेम्ब्रम थे, जिनकी मृत्यु नावल्द हो चुकी है। इनके मृत्यु के पश्चात् उनकी बहन मैदी उर्फ बागरी हेम्ब्रम की शादी घर जमाई के रूप में श्याम मुर्मू के साथ हुई। अपीलकर्त्ता मैदी उर्फ बागरी हेम्ब्रम के पोता की पत्नी है तथा उनकी उत्तराधिकारी है।

अंचल अधिकारी द्वारा जाँच के क्रम इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया। फलस्वरूप उनके द्वारा पूर्व प्रधान का कोई वंशज नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा–6 के बदले धारा–5 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *Thakur Hembrom Vrs State of Bihar, 1980 BLJR 448: 1980 BLJ212 (DB)*]. में पारित आदेश के अनुसार : –

It was held that authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim.

ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है, जो पुर्नविचारनीय है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है, तथा अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि सर्वप्रथम अपीलकर्ता के दावों के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत विचार किया जाय।

यदि धारा–6 के अन्तर्गत नियम संगत दावा नहीं बनता है, तत्पश्चात् ही धारा–5 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय।

9188 dt 11.4.22

लेखापित एवं संशोधित

13/12

उपायुक्त,
दुमका।

13/12

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:14:32 +05:30
Location: 169.254.227.244